राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–582 / रा0नि0आ0अनु0–2 / 989 / 2009
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2014

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर उप–निर्वाचन।

अधिसूचना

पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या–1110 / XII(1)-2014-86(17)/2013 दिनांक 26 मई, 2014 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के पश्चात विभिन्न कारणों से उत्तराखण्ड राज्य के **जनपद हरिद्वार** में **सदस्य ग्राम पंचायत / प्रधान ग्राम पंचायत** के रिक्त पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुबर्द्धन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि **जनपद हरिद्वार में सदस्य ग्राम पंचायत / प्रधान ग्राम पंचायत** के इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त स्थानों / पदों पर **उप–निर्वाचन** निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार कराये जाये।:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
04.06.2014 से 05.06.2014 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक)	06.06.2014 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	07.06.2014 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक)	09.06.2014 (अपरान्ह1.30बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.06.2014 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक)	20.06.2014 (पूर्वान्ह 08. 00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार अपने जिले की ग्राम पंचायतों के रिक्त स्थानों / पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों / प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (रिक्त पदों / स्थानों के आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 28.05.2014** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

4. उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप–प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत एवं यथासंशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

27/5/14
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः......2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष /2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

संख्या–582/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009 तद्‌दिनांक। (फैक्स)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
10. मण्डलायुक्त, पौडी गढवाल उत्तराखण्ड।
11. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
12. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
13. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
16. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
18. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
19. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
20. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
21. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
22. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
23. सूचना–पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

27/5/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।